बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक : वि॰प्रा॰(III)ब^{3} –15/2016–   /पटना, दिनांक :

प्रेषक,

अतुल सिन्हा,
निदेशक,

सेवा में,

सचिव,
राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद्,
बिहार, पटना

विषय : वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के मुख्यशीर्ष –2203–तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष–00, लघुशीर्ष–001–निदेशन और प्रशासन, मांग संख्या–43, उपशीर्ष–0002–राज्य तकनीकी शिक्षा पर्षद्, (विपत्र कोड 43-2203000010002) के अधीन अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार, वित्तीय वर्ष 2017–18 में निर्गत आवंटनादेश संख्या–6(आ), दिनांक 26.05.2017 के क्रम में विषयांकित बजटशीर्ष के अधीन अन्य विषयशीर्षो में पुनर्विनियोग के माध्यम से उपबंधित राशि से 31 मार्च 2018 तक नियमानुसार व्यय हेतु कुल रू॰ 35,000=00 (पैंतीस हजार रूपये) मात्र का आवंटन निम्नवत प्रदान किया जाता है :–

क्रम	विषय शीर्ष	आवंटित राशि (रूपये में)
1	2	3
1	11 01 यात्रा व्यय	5000
2	28 02 संविदा सेवाएं	30000
	कुल योग–	**35000**

(क)

(क) पैंतीस हजार रूपये मात्र।

(2) यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 2561/वि(2) दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक– 428, दिनांक 31.03.2017 के आलोक में दिया जा रहा है। अतएव उक्त परिपत्रों तथा वित्त विभाग के अन्य सुसंगत परिपत्रों में निहित दिशा–निर्देशों का अनुपालन निकासी एवं व्ययन के पूर्व निश्चित रुप से किया जाय।

(3) उक्त आवंटित राशि से न्यायालय से आच्छादित किसी भी तरह के मामलों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार किया जा सकेगा।

(4) पर्षद में डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के सृजित पद के विरूद्ध बेल्ट्रॉन द्वारा उपलब्ध कराये गये संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों को निर्धारित दर से मानदेय का भुगतान 28 02 संविदा सेवाएं विषयशीर्ष में आवंटित राशि से नियमानुसार किया जा सकेगा।

(5) उक्त आवंटित राशि का दूसरे विषयशीर्ष में विचलन कदापि नहीं किया जाय। यदि किसी विषयशीर्ष मे राशि का व्यय संभावित नहीं हो तो उक्त विषयशीर्ष में आवंटित राशि का यथाशीघ्र प्रत्यर्पण कर विभाग को वापस लौटा दिया जाय।

(6) विभिन्न विषयशीर्षो मे राशि की निकासी हेतु विपत्रों के उपस्थापन के क्रम में कृपया यह सुनिश्चित किया जाय कि विपत्रों पर विपत्र कोड/मुख्यशीर्ष/उपमुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/मांग संख्या/कूट संख्या सहित विषयशीर्षों के नाम का सुस्पष्ट उल्लेख रहे ताकि महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय में विपत्रों के पोस्टिंग में सुविधा हो सके।

(7) स्वीकृत्यादेश/आवंटनादेश तथा विपत्रों में कोड संख्या अनिवार्य रुप से अंकित करने के संबंध में वित्त विभाग के पूर्व प्रेषित पत्रांक 280/वि., दिनांक 29.03.2003 में अंकित दिशा–निर्देश का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।

(8) व्यय विवरणी टी.भी. नं. एवं तिथि सहित प्रत्येक माह के 7(सात) तारीख तक महालेखाकार, बिहार, पटना एवं अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रुप से उपलब्ध करायेगें।

(9) इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/ –

(अतुल सिन्हा)
निदेशक
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : वि०प्रा०(III)ब³ –15/2016– /पटना, दिनांक :

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, पटना/ महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/ वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आव यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –

निदेशक

ज्ञापांक : वि०प्रा०(III)ब³ –15/2016– /पटना, दिनांक :

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आव यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –

निदेशक

ज्ञापांक : वि०प्रा०(III)ब³ –15/2016– 97(वि०)/पटना, दिनांक : 12/3/2018

प्रतिलिपि : माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/उप निदेशक (यो०)/ आई०टी० मैनेजर (ई–मेल एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु)/एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाईल में संधारण हेतु (निर्गत शाखा), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09.03.18
निदेशक

9/03/18